शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
आदेश

पटना, दिनांक 18/03/26

संचिका संख्या–07/मु०–01–483/2025–1022/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–2811/2023 सुनील कुमार केशरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–01.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"***...Having regard to the fact that the petitioner has already ventilated his grievance by way of a representation dated 19.04.2022 (Annexure- 3) before the Respondent No. 4 (Director, Primary Education, Education Department, Govt. of Bihar, Patna), the present writ petition is disposed of directing the Respondent No. 4 to consider the representation made by the petitioner and pass appropriate orders as expeditiously as possible preferably within a period of twelve weeks from the date of receipt of the copy of this order. Any order passed shall be communicated to the party. In case the representation dated 19.04.2022 is not available in the office of the Respondent No. 4, he shall intimate the same to the petitioner and the petitioner shall file a fresh representation and the same shall be considered by the authority and necessary orders passed. If the authority comes to the conclusion that the grievance of the petitioner is genuine and the claim is allowed, the authority shall pay the necessary amounts to the petitioner.....***"

3. उक्त पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–4395 दिनांक–05.12.2025, विभागीय पत्रांक–4640 दिनांक–29.12.2025 तथा विभागीय पत्रांक–161 दिनांक–14.01.2026 द्वारा सुनवाई हेतु सूचना देते हुए क्रमशः दिनांक–11.12.2025, 08.01.2026 एवं 16.01.2026 को वादी के पक्ष सुना गया।

4. सुनवाई के क्रम में वादी द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करते हुए अवगत कराया गया कि सितम्बर 1994 से फरवरी 2022 तक सामान्य भविष्य निधि खाते में राशि विलम्ब से जमा की गई, जिस कारण उन्हें उक्त राशि का सूद नहीं मिलने से आर्थिक क्षति हुई। साथ ही श्री केशरी द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उन्हें 3,25,000/–(तीन लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) का सूद के रूप में भुगतान किया जाना है।

5. उक्त के क्रम में श्री केशरी द्वारा साक्ष्य के रूप में CWJC No.–2652/2018 बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–16.02.2018 को पारित आदेश संलग्न किया गया है। उक्त आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"***...In stead of keeping the matter pending the writ application is disposed of with a direction to the respondent, Director, Primary Education, Bihar, Patna, to see that the block teachers in the district of Kishanganj are paid their arrears as well as current salary within a maximum period of three months, from the date of receipt/production of a copy of this order, along with a copy of the order of this***

Court, failing which the arrear will carry interest at the rate of 9% per annum from the date of decision of the Director, Primary Education, Bihar, Patna, till the date of actual payment and all concerned instrumental in delay in making payment is liable to pay the interest from his/their own pocket. The Director, Primary Education, Bihar, Patna, is required to fix accountability on the erring official(s) in the matter of delay in making payment and realize the interest from his/their pocket within the time frame of three months......"

उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला बकाया भुगतान से संबंधित है। परन्तु श्री केशरी का मामला आवंटनादेश एवं स्वीकृत्यादेश से है, जो अधिप्राप्ति के आधार पर समय–समय पर भुगतान किया जा चुका है।

6. श्री केशरी द्वारा दूसरे साक्ष्य के रूप में विभागीय आदेश ज्ञापांक–480 दिनांक–01.05.2015 का जिक्र किया गया। अंकनीय है कि उक्त आदेश सेवानिवृत्ति की तिथि को ही सेवांत लाभ दिये जाने से संबंधित है जबकि श्री केशरी द्वारा सामान्य भविष्य निधि पर सूद की मांग की जा रही है।

7. श्री केशरी द्वारा तीसरे साक्ष्य के रूप में भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग के पत्र संख्या–2166 दिनांक–27.03.1991 का जिक्र किया गया है। उक्त पत्र सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को प्रशासनिक विलम्ब के कारण अद्यतन सूद देने के संबंध में निर्गत किया गया है। परन्तु श्री केशरी द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान मासिक अंशदान में हुए विलंब पर सूद की मांग की गई है।

8. श्री केशरी द्वारा अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध कराया गया है जो कि पूर्णतः बकाया वेतन में हुई विलंब पर आधारित है। परन्तु श्री केशरी को आवंटनादेश एवं स्वीकृत्यादेश के अधिप्राप्ति के आधार पर समय–समय पर सभी भुगतान किया जा चुका है।

9. प्रस्तुत मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–150 दिनांक–18.02. 2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री केशरी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में की गई है। नियुक्ति के पश्चात् श्री केशरी का पदस्थापन प्रा०वि० तवक्या राय के डेरा अंचल–सिमरी में किया गया था, जहाँ श्री केशरी दिनांक–06. 09.1994 से 30.09.2012 तक कार्यरत रहे। प्राथमिक विद्यालय तवक्या राय के डेरा सरकार के अनुसार योजना अन्तर्गत संचालित विद्यालय था, जिसमें पदस्थापित शिक्षकों के भुगतान हेतु विभाग द्वारा आवंटन उपलब्धता के आधार पर किया जाता था। आवंटनादेश एवं स्वीकृत्यादेश के अधिप्राप्ति के आधार पर समय–समय शिक्षकों का वेतन भुगतान किया गया है, जिसमें श्री केशरी के वेतनादि का भुगतान नियमानुसार करते हुए सामान्य भविष्य निधि की कटौती की गई है।

10. उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी श्री केशरी द्वारा सामान्य भविष्य निधि में विलम्ब से कटौती की गई राशि पर सूद दिये जाने से संबंधित पूर्व का कोई संगत आदेश, अभिलेख अथवा कोई भी स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है, वो बकाया वेतन भुगतान अथवा सेवांत लाभ में हुए विलम्ब से संबंधित है। यहाँ श्री केशरी के बकाया भुगतान एवं सेवांत लाभ लंबित रहने का दावा नहीं किया गया है। इस रूप में श्री केशरी द्वारा मांग किये गये सूद की राशि का कोई वैध आधार प्रतीत नहीं होता है।

अतएव उक्त अभिमत के साथ कोई वादी द्वारा किये गये दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07 / मु०–01–483 / 2025......1092......पटना, दिनांक.....18/03/26.....

प्रतिलिपि:– Sunil Kumar Keshari S/o Late Dr. Banshropan Prasad Keshari Resident of Mohalla- Station Road, Buxar, Opposite D.A.V. School, P.O.- Gajadharganj, P.S.- Buxar Town, Distt.- Buxar, at present posted and working as Graduate Science Teacher in Govt. Jawahar Middle School, Anchal- Buxar, District- Buxar.

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु०–01–483 / 2025......1092......पटना, दिनांक.....18/03/26.....

प्रतिलिपि:– जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु०–01–483 / 2025......1092......पटना, दिनांक.....18/03/26.....

प्रतिलिपि:– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।